पूर्णायु छात्रावास नियमावली

छात्रावास आचार-संहिता -

रैगिंग सम्बन्धी-

भारतीय दंड संहिता के तहत 'रैगिंग' एक दंडनीय अपराध है।

किसी भी छात्रा **(वरिष्ठ/ नवीन)** के साथ अनुचित/अभद्रपूर्ण व्यवहार करना सख्त रूप से वर्जित है, जो उसे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रभावित करे।

रैगिंग करने वाली छात्रा/छात्राओं पर **कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही** की जाएगी।

1. छात्रावास में केवल **शाकाहारी जैन भोजन की ही अनुमति** है।

2. छात्राओं को **शाम 6:00 p.m. बजे तक** छात्रावास में प्रवेश करना अनिवार्य है, **अनुमति** से मंदिर जा सकते हैं।

3. छात्राओं को केवल उनके **आवंटित कक्ष** में ही सोना है।

4. वैज्ञानिक कारणों से **रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मोबाईल, संरक्षिका को जमा करवाना** अनिवार्य है।

5. रात्रि में छात्राओं को आवाज़ करने या किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है जिससे अन्य छात्राओं को परेशानी हो।

6. कक्ष की **बिजली 10:00 pm बजे बंद** करनी होगी, अध्ययन के लिए आप स्टडी लैंप का उपयोग कर सकते हैं।

7. शोर्ट-टॉप्स, मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, स्लीवलेस, ऑफ शोल्डर तथा कसे वस्त्रों द्वारा अंग प्रदर्शन करना सख्त मना है।

8. भारतीय परिधान को प्रोत्साहित किया जाए, कक्ष के अन्दर/बाहर **सभ्य एवं शालीन वस्त्र** पहनें।

9. सत्र के दौरान निम्न परिस्थितियों में **अवकाश** दिया जाता है-

• **महाविद्यालयीन अवकाश (रविवार अथवा अन्य) पर माह के किसी दो दिन** छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति है।

   माह का **दूसरा अवकाश** माता-पिता की **लिखित अनुमति के साथ।**

   2 या 2 से अधिक के समूह में ही जाने की अनुमति रहेगी।

   अवकाश का समय - सुबह 11:00 am से शाम 6:00pm. तक।

   छात्रा के जन्मदिवस पर - 1 दिन (सुबह 7:00 से शाम 6:00 तक) केवल परिजनों के साथ।

• **पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु अभिभावकों द्वारा लिखित रूप से अनुमति** लेना अनिवार्य है।

10. कैंपस से बहार जाने के लिए **गेट पास** लेना अनिवार्य है।

11. अन्दर या बाहर परिसर में, सह-छात्रा आदि से **पैसे उधार लेना-देना** सख्त वर्जित है ।

12. कक्ष के **अन्दर**, छात्रा को कोई भी विद्युत उपकरण जैसे रॉड, चाय केटली, ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन आदि रखने की अनुमति नहीं है। नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है।

13. कक्ष में टैब या अन्य गैजेट रखना वर्जित है।

14. कक्ष के अन्दर किसी प्रकार की **खाद्य सामग्री बनाने की अनुमति नहीं** है।

15. व्यक्तिगत रूप से सेवाकर्मियों को किसी भी प्रकार का **उपहार देना-लेना** वर्जित है।

16. अध्ययन पूर्ण होने तक छात्राओं को **ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जॉब** की अनुमति नहीं है।

17. छात्रावास में **सामूहिक** रूप से **धार्मिक आयोजन** करने का निषेध है।

18. बी.ए.एम.एस. पूर्ण होने तक **सभी छात्राओं के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य** है।

19. चोरी करना, जुआ खेलना, पालतू जानवर रखना, धूम्रपान करना, तम्बाकू उत्पादों आदि का उपयोग करना/रखना, शराब (Fruit beer/ Wine / Alcohol) का सेवन करना, नशीले पदार्थ का सेवन करना / रखना, रैगिंग, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में अश्लील सामग्री रखना, अवैध हथियार/ उपकरण रखना, सख्त रूप से वर्जित है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर छात्रावास से **तत्काल निष्कासित** कर दिया जाएगा।

20. **आगंतुकों के लिए दिशानिर्देश-**

- छात्रा से मिलने के इच्छुक माता-पिता/परिजनों से अनुरोध है कि वे छात्रावास संरक्षिका से **1 दिन पूर्व ज्ञात कराएं** अन्यथा वे मिलने में असमर्थ रहेंगे।
- छात्रावास में **पुरुषों का आना प्रतिबिंधित** है।
- माता-पिता/परिजन, **प्रतीक्षा कक्ष में ही** अपनी बालिका से मिल सकते हैं।

* **उपर्युक्त नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।**